आर.एन.आर.

के कन्नन जे. ***के समक्ष***

एमएस सप्रा,- याचिकाकर्ता

बनाम

प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली और *अन्य-प्रतिवादी*

सीडब्ल्यूपी नं. 1989 का 10966 और सीडब्ल्यूपीएनओ. 1989 का 11623

27 अप्रैल, 2011

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—एक अधिकारी के खिलाफ 200 बोरी धान के दुरुपयोग का आरोप—सेवा से बर्खास्तगी—एक अन्य अधिकारी को स्टॉकवार और शेडवार प्रविष्टियों को ठीक से सत्यापित नहीं करने का दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई का नुकसान हुआ—अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड दे रहा है—उसे चुनौती—अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है 200 बोरी धान का नुकसान हुआ था - जांच अधिकारी की रिपोर्ट केवल दो रजिस्टरों के बीच प्रविष्टि में विसंगति के तथ्य से कायम नहीं रह सकती - कोई वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया - तथ्य का निष्कर्ष - क्या उच्च न्यायालय के पास अपने रिट में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है क्षेत्राधिकार - आयोजित, हां - जहां बिना किसी सबूत के आधार पर सजा का आदेश दिया गया और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन पर पारित किया गया, याचिका की अनुमति दी गई, पद से हटाने की सजा दी गई

सेवा रद्द कर दी गई - अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दोबारा जांच करने का आदेश देने वाले अन्य अधिकारी को यह सजा दी गई कि उसकी ओर से कोई नुकसान नहीं हुआ था और चूक केवल दो रजिस्टरों के बीच प्रविष्टियों में विसंगति को ठीक से सत्यापित नहीं करने के कारण हुई थी।

यह माना गया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति न देने से निश्चित रूप से श्री बहल को यह बताने में असमर्थता हुई कि यह निर्णय लेने के लिए उपयुक्त साक्ष्य की कमी के कारण निष्कर्ष पूरी तरह से कैसे खराब हो गया था कि क्या कोई हेराफेरी हुई थी। या श्री बहल को 200 बोरी धान का फर्जीवाड़ा। इस तथ्य के संदर्भ के बिना कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी, मैंने पहले ही बताया है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट केवल दो रजिस्टरों के बीच प्रविष्टि में विसंगति के तथ्य से कायम नहीं रह सकती है। विसंगति की पुष्टि वास्तविक सत्यापन द्वारा की जानी आवश्यक थी जो इस मामले में नहीं की गई।

(पैरा 12 एवं 13)

* *इसके अलावा,* यह माना गया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि श्री बहल के खिलाफ आरोप स्थापित किए गए थे, स्पष्ट रूप से गलत था। सेवा से निष्कासन की सजा में हस्तक्षेप किया जा सकता है। विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया है और 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11623 में याचिकाकर्ता सेवा की निरंतरता के साथ बहाल होने का हकदार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने पूरी अवधि के लिए काम नहीं किया है, वह पिछली मज़दूरी का 50% पाने का भी हकदार होगा, न कि पूरी मज़दूरी का।

(पैरा 14)

इसके अलावा, यह माना गया कि श्री सप्रा की सज़ा की इस निष्कर्ष के संदर्भ में फिर से जांच करने की आवश्यकता होगी कि कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनकी ओर से हुई चूक के अनुरूप सज़ा केवल विसंगति को ठीक से सत्यापित न करने के कारण थी। स्टॉकवार और शेडवार रजिस्टरों के बीच प्रविष्टियाँ। सजा जारी करने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और केवल ऊपर दिए गए निष्कर्ष के संदर्भ में सजा के मुद्दे पर पुन: जांच के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज दिया जाता है।

(पैरा 15)

सीडब्ल्यूपी संख्या 10966/1989 में याचिकाकर्ता के वकील विवेक शर्मा।

जी.एस. सीडब्ल्यूपीएनओ में याचिकाकर्ता के लिए वकील बावा। 1989 का 11623

8. प्रतिवादियों की ओर से वकील एस वासु।

के. कन्नन, जे.

(1) दोनों मामले एक ही लेन-देन से जुड़े हुए हैं। रिट याचिकाकर्ताओं को गंभीर कदाचार के दोषी के रूप में नामित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम से 200 बैग खाद्यान्न का नुकसान हुआ था। 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10966 में याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय में भारतीय खाद्य निगम के डिपो में सहायक ग्रेड- I था और सीडब्ल्यूपी नंबर 11623 में याचिकाकर्ता उसके अधीन एक अधीनस्थ था। सहायक प्रबंधक (सतर्कता) श्री एसएस ग्रेवाल द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में यह आरोप लगाया गया

कि धान पीआर106 किस्म के 200 बैग गायब पाए गए और दोनों याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाए गए।

(2) 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 10966 में याचिकाकर्ता श्री एमएस सप्रा को जारी किए गए आरोपों में, मुख्य आरोप थे कि (i) उन्होंने 200 बोरी धान का दुरुपयोग किया था, (ii) उन्होंने 24 जनवरी को की गई प्रविष्टियों को सत्यापित नहीं किया था, 1984 स्टॉकवार और शेडवार रजिस्टरों में, और (iii) उन्होंने जानबूझकर आधिकारिक रिकॉर्ड में सुधार करके खुद को उस दिन अनुपस्थित दिखाया था। श्री ए.के. के खिलाफ आरोप बेहल, जो 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11623 में याचिकाकर्ता हैं, अनाज के नुकसान के संबंध में काफी हद तक समान थे और यह कहा गया था कि (i) उन्होंने धान के 200 बैग का दुरुपयोग किया था और (ii) उन्होंने आवक का उत्पादन नहीं किया था और एआरडीसी किलारायपुर में आउटवर्ड गेट पास लेकिन 16 अप्रैल, 1986 से ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे।

(3) एक घरेलू जांच गठित की गई और रिपोर्ट के आधार पर, जो हालांकि, याचिकाकर्ताओं को सूचित नहीं किया गया था, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सेवा से हटाने और अन्य दंडों के आदेश पारित किए। इन निर्णयों के खिलाफ एक अपील और समीक्षा की गई थी और श्री एमएस सपरा द्वारा दायर एक रिट याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के निर्देश पर, प्राधिकरण को श्री सपरा द्वारा दायर समीक्षा आवेदन का निपटान करने का निर्देश दिया गया था। सेवा से निष्कासन के मूल आदेश की सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई समीक्षा पर, निष्कर्षों को संशोधित किया गया था

उन्हें गबन और आधिकारिक रिकॉर्ड में कथित बदलाव के आरोपों से बरी कर दिया गया और उन्हें केवल एक आरोप के लिए दोषी पाया गया कि उन्होंने स्टॉक वार और शेड वार प्रविष्टियों को सत्यापित नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप भारतीय खाद्य निगम को नुकसान हुआ था। जहां तक श्री बहल से संबंधित मामले का सवाल है, पहले से ही सिद्ध पाए गए आरोप जारी रहे और जबकि श्री बहल को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, श्री सपरा को तीन प्रकार की सजाएं दी गईं: (i) सेवा से प्रत्यावर्तन 380-640 के न्यूनतम समयमान में एजी-I(D) से AG-II(D) का पद, और (ii) वरिष्ठता को जब्त करना और AG-II(D) की वरिष्ठता सूची में सबसे निचले स्थान पर उसी का निर्धारण करना। . यहां तक कि उपरोक्त दो दंडों के अलावा, उनके साथ यह व्यवहार भी किया गया था कि बर्खास्तगी की तारीख से लेकर ड्यूटी पर वापस आने की तारीख तक को गैर-ड्यूटी अवधि के रूप में माना जाएगा। अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को दोनों रिट याचिकाकर्ताओं में चुनौती दी गई है।

(4) चिंता का मुख्य विषय यह है कि क्या प्रबंधन ने यह साबित किया है कि दोनों कर्मचारियों के खिलाफ 200 बोरी धान का नुकसान हुआ है। यदि याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि कोई चोरी नहीं हुई थी या किसी भी तरह से उक्त तथ्य स्थापित नहीं हुआ था, तो इसका तुरंत गेट के माध्यम से असर होगा। किसी भी तरह से, वास्तविक नुकसान का प्रमाण या तो भौतिक सत्यापन से या उस व्यक्ति की जांच से संभव होगा, जिसने देखा था कि 800 बोरी धान गेट से गुजरा था। अजीब बात है कि इस मामले में, ये दोनों पहलू बिल्कुल भी स्थापित नहीं किए गए थे। जांच अधिकारी ने शेडवार रजिस्टर और गेट पास के बीच विसंगति का पता लगाने के अलावा और कुछ नहीं किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 200 बैग का नुकसान हुआ था।

(5) कर्मचारी के वकील ने बताया कि एफएसडी, किलारायपुर में कार्यरत श्री एएस ढिल्लों से प्रबंधन ने यह कहने के लिए पूछताछ की थी कि वह 25 जनवरी, 1984 को डिपो में मौजूद थे और उन्होंने गेट देखा था। P12 और P16 पास करता है। गौरतलब है कि गेट पास लिखने वाले व्यक्ति की स्वयं जांच नहीं की गई थी, लेकिन उसका साक्ष्य भी केवल निम्नलिखित प्रभाव वाला था:■—

> *(1) 200 बैग तैयार करने में न जाने कितना समय लग जाता है। 200 बोरा अनाज एकत्रित कर अतिरिक्त बोरा तैयार करना संभव नहीं है। गोदाम में कोई भी एजीएन या एजी-11 200 बैग नहीं बना सकता। गेट पर खड़ा चौकीदार लोडेड ट्रक की गिनती नहीं कर पाता. ''*

इसलिए, उनका साक्ष्य यह पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि 800 बोरी धान डिपो से बाहर ले जाया गया था। एक पीएस बाली, एएम (डी), एफएसडी, किलारायपुर, जिनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने रजिस्टरों को देखा था, ने निम्नलिखित बयान दिया था:-

(2) .. एफएसडी से जारी धान के बड्डे की जांच पर एवं

किराए पर लिए गए गोदाम किलारायपुर में पाया गया कि स्टॉक के अनुसार, एफएसडी के शेडवाइज रजिस्टर में 600 बैग धान पीआर 106 पार्टी को जारी किए गए हैं, जबकि गेट पास और आउटवर्ड रजिस्टर ए के अनुसार 800 बैग धान पीआर 106 पड़े हैं। मैंने 14 अगस्त, 1984 को DMEC.l को एक रिपोर्ट भेजी। लुधियाना. मैं गेटपास और आउटवर्ड रजिस्टर में प्रविष्टि के सही होने की पुष्टि करता हूं। 24 जनवरी, 19841 को एफएसडी गिल रोड के प्रभारी होने के नाते एफएसडी गिल रोड लुशियाना के दौरे पर थे। एफएसडी किलारायपुर में भण्डारित धान के संबंध में आज तक पी.वी. दस्ते द्वारा कोई कमी/अधिकता नहीं बताई गई है। "

दो रजिस्टरों में पाई गई वास्तविक विसंगति से अधिक उसके साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या एफएसडी में 200 बोरी धान की कमी थी, इसे इस रिकॉर्ड के माध्यम से नहीं देखा जा सकता है। श्री ग्रेवाल ने भी साक्ष्य दिया था और उन्होंने इस प्रकार कहा था:-

(3) ..... रिकार्ड की जांच करने पर देखा कि 600 बोरा धान है

पार्टी को जारी किए गए थे जबकि गेट पास आउटवर्ड रजिस्टर के अनुसार इसकी संख्या 800 थी। गेट पास और आउटवर्ड रजिस्टर के साथ एफएसडी से जारी किए गए 200 बैग का कुल अंतर था। गेट पास और गेट आउटवर्ड रजिस्टर में प्रविष्टियाँ। गेट पास और गेट आउटवर्ड रजिस्टर की प्रविष्टियाँ स्टॉकवाइज रजिस्टर की प्रविष्टियों से भिन्न होती हैं। मैंने खाली बोरों की भौतिक जांच नहीं की, लेकिन मैंने उसके खाते की जांच की, मुझे नहीं पता कि धान एफसीआई पैटर्न पर डीएफएससी पैटर्न पर जारी किया गया था या नहीं। ''

उन्होंने भी केवल रजिस्टर में गड़बड़ी होने की बात कही है, लेकिन उन्होंने स्वयं भौतिक सत्यापन नहीं किया है कि 200 बोरा धान का नुकसान हुआ है या नहीं.

(6) उपरोक्त निकाले गए साक्ष्यों के आधार पर ही जांच अधिकारी ने 200 बोरी धान के वास्तविक नुकसान का आरोप सिद्ध करते हुए श्री बेहल को दोषी पाया और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की अनुशासनात्मक कार्रवाई को उचित ठहराया। यह फिर से यह साक्ष्य था जो यह मानने के लिए पर्याप्त पाया गया कि श्री सप्रा रजिस्टरों को ठीक से बनाए रखने में विफल रहे थे और वह कर्तव्य में लापरवाही के दोषी थे।

(7) विभागीय कार्यवाही में निर्णयों की न्यायिक समीक्षा की सीमा काफी हद तक सर्वविदित है। एक न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है और उसे केवल यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है और निर्णय तथ्य खोज प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के स्पष्ट निष्कर्ष के अनुसार होता है। हो सकता है कि हर समय सबूतों की पर्याप्तता पर सवाल न उठाया जाए, लेकिन अंतिम निर्णय इस बात पर विचार किया जाएगा कि निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत मौजूद था या नहीं। उपरोक्त सुव्यवस्थित उपदेशों को पृष्ठभूमि में रखते हुए। मुझे लगता है कि इस मामले में अंतिम निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है कि 200 बोरी धान का नुकसान हुआ था। यदि पूरे मामले का निर्णय केवल रजिस्टरों में क्या था, इस पर स्टॉक के भौतिक मूल्यांकन द्वारा रजिस्टरों में क्या शामिल था, इसके किसी भी क्रॉस सत्यापन के बिना किया जाना था, तो आरोप अलग होना चाहिए था कि प्रविष्टियां ठीक से नहीं की गई थीं संबंधित रजिस्टर. हालाँकि, यदि आरोप यह है कि एक या दूसरे अधिकारी

द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए धोखाधड़ी से धान हटाने का दोषी होने के कारण 200 बोरी धान का नुकसान हुआ है, तो इस बात का सबूत होना चाहिए कि रजिस्टरों में जो दर्शाया गया था उसका सत्यापन किया गया था और पाया गया था। गलत। यदि 200 बोरी धान गायब हो गया था और किसी अधिकारी को जिम्मेदार पाया गया था, तो 200 बोरी धान गायब होने का भौतिक सत्यापन किए बिना या गेट पर उस व्यक्ति की जांच किए बिना, जिसने पास जारी किया था, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने सत्यापित किया कि गेट से आगे जाने वाले 5 वाहनों के माध्यम से 800 बोरी धान का परिवहन किया गया था। इस मामले में पूर्व जांच स्तर पर चौकीदार हरबंस लाल की ओर से बयान दर्ज कराया गया था कि 5 ट्रकों से 800 बैग उतारे गए थे, लेकिन उसकी खुद जांच नहीं की गई और बयान को ही साक्ष्य के तौर पर ले लिया गया कि 800 बैग गेट से चला गया था. यह महत्वपूर्ण है क्योंकि श्री एएस ढिल्लों ने जांच अधिकारी के समक्ष जिरह में स्वीकार किया कि गेट पर खड़ा चौकीदार लोडेड ट्रक की गिनती नहीं कर सकता है और इसलिए, यह बताना आवश्यक था कि चौकीदार ने बयान कैसे दिया था।

(8) यदि वास्तविक भौतिक सत्यापन या गवाहों के साक्ष्य के माध्यम से 200 बैगों के नुकसान के संबंध में कोई सबूत नहीं था, तो जो निष्कर्ष निकाला गया कि श्री बहल जिम्मेदार थे, उचित नहीं था। इसे इस तथ्य से पुष्ट करने की कोशिश की गई कि उनसे पूछताछ की गई कि क्या उनके पास कहने के लिए कुछ था और श्री बहल के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 5 गेट पास जारी किए थे जिनमें प्रत्येक में 160 बैग थे और चौकीदार का प्रवेश केवल इसके आधार पर था गुजरता। उन्होंने यह भी बताया था कि गेट पास जारी होने के बाद, पार्टी ने उसी गोदाम से बैग जारी करने का अनुरोध किया था जहां से कुछ अन्य बैग जारी किए गए थे और इसलिए अनुरोध के अनुसार, उन्होंने उस गोदाम से 600 बैग जारी किए थे जो नीचे था। उसका चार्ज और दूसरे गोदाम से 200 बोरी। यह एक तरह से स्पष्टीकरण था कि उनकी निगरानी में गोदाम से सभी 800 बोरा धान कैसे नहीं गया. जांच अधिकारी ने यह भी माना कि चूंकि श्री एसएस ग्रेवाल और श्री एएस ढिल्लों दोनों ने कहा था कि उन्होंने दोनों रजिस्टरों के बीच प्रविष्टियों में विसंगति पाई है, इसलिए यह साबित करने का भार दोनों आरोपित अधिकारियों पर था कि वे जिम्मेदार नहीं थे। स्टॉक के नुकसान के लिए. यह अवलोकन भी कानून का गलत बयान है क्योंकि सबूत का बोझ कभी नहीं बदलता है। यदि अधिकारी यह समझा रहा था कि उसके नियंत्रण वाले गोदाम से अकेले 600 बोरी धान देखा गया था और अन्य 200 बोरी धान एक अन्य गोदाम से गया था, तो यह पता लगाना नितांत आवश्यक था कि ऐसा कथन सही था या नहीं और वह 800 श्री बहल और श्री सपरा के नियंत्रण वाले गोदाम से धान की बोरियाँ नहीं निकली थीं।

(9) क़ानून के एक बिंदु पर, याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क यह था कि उन्हें जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई थी और इसलिए, उन्हें दोषी ठहराने वाला अंतिम आदेश ख़राब हो गया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि श्री सपरा के मामले में समीक्षा के लिए उनके मामले की जांच के लिए इस न्यायालय से एक निर्देश के बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर आरोपित अधिकारी द्वारा दी गई आपत्ति के आधार पर मामले को निपटाया। नतीजतन, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने से पहले प्रासंगिक समय पर, आरोपित अधिकारी को जांच अधिकारी के निष्कर्षों को पूरा करने का लाभ था और इसलिए, वह किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं हो सकता था। जहां तक श्री बहल के खिलाफ आरोपों का संबंध है, जांच अधिकारी ने 16 जुलाई, 1987 को एक रिपोर्ट दी थी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी का आदेश 13/27 अगस्त, 1987 को पारित किया गया था। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की। आदेश और अपील दायर करने के समय इस आदेश की घोषणा के बाद ही, श्री बहल ने निष्कर्ष की आलोचना करने के लिए जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त की थी।

अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने निश्चित रूप से श्री बहल को यह बताने का पर्याप्त अवसर देने से इनकार कर दिया था कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट कैसे गलत थी। जहां तक श्री बहल का सवाल है, उन्हें जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध न कराए जाने से स्पष्ट रूप से पूर्वाग्रह था।

(10) जांच अधिकारी की रिपोर्ट न देने के तथ्य और इस मुद्दे पर कि क्या ऐसी चूक प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन होगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **प्रबंध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद** *बनाम* **बी. करुणाकर मामले में संविधान पीठ में निपटाया गया था। एल) यह** निर्णय संविधान के 42वें संशोधन के संदर्भ में था, जो सरकारी कर्मचारी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने और दर्ज किए गए निष्कर्षों के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता था। संविधान पीठ अनुशासनात्मक जांच के दूसरे चरण में रिपोर्ट दिए जाने के अधिकार की जांच कर रही थी, जब एक सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित दंड के खिलाफ कारण बताने के लिए नोटिस भेजा जाएगा। यह मानते हुए कि एक अपराधी रिपोर्ट की एक प्रति पाने का हकदार है, तब भी जब वैधानिक नियम इसकी अनुमति नहीं देते, न्यायालय ने बताया कि **भारत संघ** *बनाम* **मोहम्मद** मामले में निर्धारित कानून। **रमज़ान खान (2) को** इस तरह समझा जाना चाहिए कि चाहे यह विशेष रूप से नियमों के तहत प्रदान किया गया हो या नहीं, रिपोर्ट की एक प्रति हमेशा प्रस्तुत की जानी चाहिए, भले ही वह इसके लिए न मांगे। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत को लागू करने के लिए एक और योग्यता निर्धारित की है। जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन की शिकायत की है, उसे पूर्वाग्रह साबित करना होगा और इस मुद्दे की प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जांच की जानी चाहिए कि पूर्वाग्रह पैदा हुआ है या नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह प्रश्न कि क्या कर्मचारी बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख तक बकाया वेतन और अन्य लाभों का हकदार था, कानून के अनुसार प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए अनिवार्य रूप से छोड़ दिया जाना चाहिए। इस मामले में, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की प्रति न देने से निश्चित रूप से श्री बहल को यह बताने में असमर्थता हुई कि कैसे निर्णय के लिए उपयुक्त साक्ष्य की कमी के कारण निष्कर्ष पूरी तरह से खराब हो गया था। श्री बहल को 200 बोरी धान का हेराफेरी या धोखाधड़ी से हटाया जाना। मैं कुछ अन्य निर्णयों की जांच नहीं कर रहा हूं जिन्हें विद्वान वकील ने यह दिखाने के लिए उद्धृत किया था कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत न करना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कैसे होगा।

(11) इस तथ्य का संदर्भ दिए बिना भी कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी, मैंने पहले ही बताया है कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट केवल दो रजिस्टरों के बीच प्रविष्टि में विसंगति के तथ्य से कायम नहीं रह सकती है। विसंगति की पुष्टि वास्तविक सत्यापन द्वारा की जानी आवश्यक थी जो इस मामले में नहीं की गई। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने **नतिंदर मोहन आर्य** *बनाम* **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (3) के फैसले का हवाला दिया** जिसमें कहा गया था कि घरेलू जांच में भी संदेह या अनुमान सबूत की जगह नहीं ले सकता है और यह न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करने का हकदार है। कुछ परिस्थितियों में किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकारी के तथ्य के निष्कर्ष। पैरा 26 में परिस्थितियों का विवरण देते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है:-

> *हमारी राय में विद्वान एकल न्यायाधीश और परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने सामने सही प्रश्न नहीं रखा*
>
> *'मामले को दो नजरिए से देखा जा सकता है. सिविल कोर्ट के सीमित क्षेत्राधिकार के बावजूद, वह ऐसे मामले में हस्तक्षेप करने का हकदार था जहां जांच अधिकारी की रिपोर्ट बिना किसी सबूत पर आधारित हो। किसी अपराधी कर्मचारी द्वारा सिविल न्यायालय और रिट न्यायालय में दायर मुकदमे में, यदि विभागीय कार्यवाही में आए निष्कर्षों पर सवाल उठाया जाता है, तो उसे निम्नलिखित को ध्यान में रखना चाहिए:*
>
> (1) जांच अधिकारी को जांच के दौरान बाहरी स्रोतों से कोई भी सामग्री एकत्र करने की अनुमति नहीं है। [

(1) AIR 1993 (5) S.C. 533
(2) 1991 (1) S.L.R. 159 (S.C.)

असम राज्य और अन्य बनाम महेंद्र कुमार दास और अन्य (1970) 1एससीसी 709: एआईआर 1970 एससी 1255 देखें।

(2) घरेलू जांच में प्रक्रिया में निष्पक्षता प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक हिस्सा है (देखें खेम **चंद बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1958 एससी 300** और **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ओम प्रकाश गुप्ता (1969) 3 एससीसी 775,**

(3) विवेकाधीन शक्ति के प्रयोग में दो तत्व शामिल होते हैं: (i) उद्देश्य और (ii) व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ तत्व के प्रयोग का अस्तित्व व्यक्तिपरक तत्व के प्रयोग के लिए एक शर्त है। [**केएल त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य** देखें : (1984) 1 एससीसी 43: एआईआर 1984 एससी 273।

(3) एआईआर 2006 एससी 1748(1)

(4) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के किसी भी कठोर नियम को निर्धारित करना संभव नहीं है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है लेकिन कार्रवाई में निष्पक्ष खेल की अवधारणा इसका आधार है। [**सवाई सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1986 एससी 995 देखें ।**

(5) जांच अधिकारी को आरोपों से परे यात्रा करने की अनुमति नहीं है और किसी निष्कर्ष के आधार पर लगाई गई कोई भी सजा जो आरोपों का विषय-वस्तु नहीं थी, पूरी तरह से अवैध है, [**निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद देखें और अन्य बनाम कल्याण कुमार मित्रा एवं अन्य 1987 (2) सीएलजे 3441,**

(6) *घरेलू पूछताछ में भी संदेह या अनुमान सबूत की जगह नहीं ले सकता। रिट कोर्ट कुछ परिस्थितियों में किसी भी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का हकदार है। [**सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम प्रकाश चंद जैन एआईआर 1969 एससी983, कुलदीन सिनेह बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य 61999 देखें) 2** देखें 10।*

न्यायालय की एक खंडपीठ ने **पीआरटीसी** *बनाम* **धनी राम (4) में यह भी माना** है कि बिना किसी सबूत के आधार पर और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन पर पारित दंड आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपने रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी है। इस सिद्धांत को **योगिन अथ डी. बागड़े** *बनाम* **महाराष्ट्र राज्य (5)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पुष्टि मिलती है जो पैराग्राफ 51 में इस प्रकार है:

> *" कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि निष्कर्ष विकृत हैं और रिकॉर्ड पर साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं या घरेलू मुकदमे में दर्ज निष्कर्ष ऐसे हैं जिन तक कोई उचित व्यक्ति नहीं पहुंचा होगा, तो यह उच्च न्यायालय के लिए भी खुला होगा इस न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने के लिए यह देखा गया कि संविधान के तहत उच्च न्यायालय और इस न्यायालय को उपलब्ध न्यायिक समीक्षा की शक्ति घरेलू जांच को भी प्रभावित करती है और न्यायालय निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकते हैं।*

(4) 2001 (एल)पीएलआर 585

(5) 1999 (7) एससीसी 739

> *यदि निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था या दर्ज किए गए निष्कर्ष ऐसे थे जिन तक कोई सामान्य विवेकशील व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था या निष्कर्ष विकृत थे, तो वहां तक पहुंच सकते थे। "*

(12) उपरोक्त परिस्थितियों में, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि श्री बहल के खिलाफ आरोप स्थापित किए गए थे, स्पष्ट रूप से गलत था। सेवा से निष्कासन की सजा में हस्तक्षेप किया जा सकता है। विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया है और 1989 के सीडब्ल्यूपी नंबर 11623 में याचिकाकर्ता सेवा की निरंतरता के साथ बहाल होने का हकदार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने पूरी अवधि के लिए काम नहीं किया है, वह पिछली मज़दूरी का 50% पाने का भी हकदार होगा, न कि पूरी मज़दूरी का। यदि वह पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच चुका है, तो वह 50% पिछला वेतन, साथ ही टर्मिनल लाभ का हकदार होगा और उनकी गणना की जाएगी और आदेश की तारीख से 12 सप्ताह के भीतर उसे राशि जारी की जाएगी।

(13) जहां तक श्री सपरा के खिलाफ दर्ज निष्कर्षों का संबंध है, यह माना गया कि वह केवल अनुच्छेद 2 में लगाए गए

आरोप के लिए दोषी थे, अर्थात्, उन्होंने 24 जनवरी, 1984 को स्टॉक वार और शेड वार रजिस्टरों में प्रविष्टियों को सत्यापित नहीं किया था। रजिस्टरों में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन इस रिट याचिका में आए बदले हुए फैसले के संदर्भ में इस निष्कर्ष की दोबारा जांच करनी होगी कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 200 बोरी धान का नुकसान हुआ था। हालाँकि, उन्हें सज़ा नहीं दी जा सकती थी जो श्री बहल के खिलाफ मामले में दर्ज एक निष्कर्ष के संदर्भ में दी गई थी कि नुकसान/दुरुपयोग हुआ था। श्री सप्रा की सज़ा की इस निष्कर्ष के संदर्भ में फिर से जांच करने की आवश्यकता होगी कि कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उनकी ओर से हुई चूक के अनुरूप सज़ा केवल स्टॉक के बीच प्रविष्टियों में विसंगति को ठीक से सत्यापित न करने के लिए थी। वार और शेड वार रजिस्टर। सजा जारी करने वाले आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और केवल ऊपर दिए गए निष्कर्ष के संदर्भ में सजा के मुद्दे पर पुन: जांच के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज दिया जाता है।

(14) श्री बहल द्वारा दायर सीडब्ल्यूपी संख्या 11623/1989 की अनुमति दी जाती है और सीडब्ल्यूपी संख्या 10966/1989 में आदेश के तहत श्री सप्रा को दी गई सजा को रद्द कर दिया जाता है और कानून के अनुसार सजा के संबंध में विचार के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी को भेज दिया जाता है। . 1989 के सीडब्ल्यूपी क्रमांक 10966 का निस्तारण किया जाता है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सुखवीर कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा